नियम एवं शर्तें

(1) दुकान के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.आई.सी. परिसर, पंडरी, रायपुर से रू. 200/— नगद जमा कर प्राप्त कर सकेंगे ।

(2) आवेदन पत्र के साथ 10 प्रतिशत् पंजीयन राशि डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगा।

(3) विज्ञापन में दर्शित अवधि में यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध दुकान की संख्या से अधिक रही तो पंजीयन हेतु आवेदकों का चयन लाटरी पद्धति से किया जावेगा । लाटरी के पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम लाटरी में नहीं निकलता उनकी जमा पंजीयन राशि मूल रसीद प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस की जावेंगी ।

(4) पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी । पंजीयन स्वीकृत होने के बाद जमा राशि वापस चाहने पर मूल रसीद प्रस्तुत करने पर पंजीयन राशि का 10 % (दस प्रतिशत्) कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।

(5) पंजीयन के पश्चात् दुकान क्रमांक का आबंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा । भवन रिक्त होने की स्थिति में रू. 500 अतिरिक्त शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है । इस संबंध में अंतिम निर्णय निगम का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

(6) दुकान 30 वर्षों की लीज पर आबंटित की जाएंगी । इसके पश्चात् लीज अवधि 30 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है ।

(7) कोयला/तंबाखू/शराब/चूना/मटन—माँस/पोल्ट्री के व्यवसाय के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(8) पंजीयन राशि तथा अन्य किश्ते राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे—आर्डर से प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी के नाम से रायपुर में देय एवं स्वीकार्य होगी ।

(9) दुकान के पूर्ण होने पर आवेदित स्थान के अंतिम मूल्य का निर्धारण किया जाएगा । विज्ञापित मूल्य से अंतिम मूल्य के अंतर की अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) अंतिम किश्त में क्रेता द्वारा देय होगी ।

(10) प्रत्येक आबंटी को विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर लेना होगा ।

(11) आबंटितों को उन्हें आबंटित जगह में ही अपना व्यवसाय करना होगा । दुकानों के सामने कारीडोर पर स्थायी या अस्थायी अवरोध खड़ा करना वर्जित है ।

(12) आबंटित स्थान के अतिरिक्त किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन निगम की अनुमति के बिना वर्जित है, ऐसे निर्माण अवैध माने जाएंगे । दुकान की भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर कब्जा नहीं किया जाएगा ।

(13) आवेदक द्वारा दुकान का उपयोग केवल वाणिज्यिक/व्यावसायिक कार्यो के लिए ही किया जाएगा । किसी भी प्रकार का अवैध व्यापार/व्यवसाय नहीं किया जाएगा ।

(14) निगम की शर्तों के अधीन ही दुकान किसी अन्य को विक्रय अथवा सबलीज या अन्य प्रकार से हस्तांतरित की जा सकेगी । निगम की लिखित अनुमति के बिना भवन हस्तांतरण/विक्रय अवैध होगा ।

(15) दुकान का हस्तांतरण/नामांकन निगम के नियमानुसार होगा ।

(16) नगर पालिका/निगम/केंद्रीय शासन/ राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर नियमानुसार क्रेता द्वारा देय होगा ।

(17) आबंटन होने के पश्चात् 10 वर्षो का एकमुश्त लीज रेंट, भूमि संधारण शुल्क व अन्य प्रभार निगम के नियमानुसार अग्रिम देय होगा।

(18) विक्रय विलेख/पंजीयन व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा । दुकान का आधिपत्य विक्रय विलेख पंजीयन कराने के बाद ही दिया जाएगा ।

(19) आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा । अस्वीकृत आवेदकों की पंजीयन राशि उन्हें बिना ब्याज के वापस की जाएगी ।

(20) अपरिहार्य कारणोंवश योजना को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में आवेदकों द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि उन्हें बिना ब्याज के वापस की जाएगी ।

(21) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

मैने नियम तथा शर्ते पढ़ एवं समझ लिया है तथा मुझे मान्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ——————————

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी जिला महासमुंद में व्यवसायिक परिसर में वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु दुकान आबंटन हेतु स्थान का विवरण

विवरण		संख्या	क्षेत्र (वर्गमीटर)	मूल्य*	पंजीयन राशि	प्रथम किश्त 3 माह बाद	द्वितीय किश्त 6 माह बाद	तृतीय किश्त 9 माह बाद	अंतिम किश्त* भवन पूर्ण होने पर
भू–तल	दुकान	10	28.26 कारीडोर सहित	4.00 लाख	0.40 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख	0.60 लाख

नियम व शर्ते :–

1. इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र निर्धारित मूल्य रू. 200.00 जमा कर दिनांक 15.10.2009, सायं 5.30 बजे तक निगम मुख्यालय से प्राप्त कर सकते है ।
2. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2009 सायं 5.30 बजे तक है ।
3. पंजीयन राशि प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी के नाम से रायपुर में देय, राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे–आर्डर से स्वीकार की जाएगी ।
4. तंबाकू/शराब/कोयला/चूना/मटन–मांस/पोल्ट्री के व्यवसाय हेतु आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे ।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
10. शेष नियम एवं शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है तथा वेबसाइट **www.csidc.in** पर भी देखी जा सकती ।

* भवन के पूर्ण होने पर आवेदित स्थान के अंतिम मूल्य का निर्धारण किया जायेगा । विज्ञापित मूल्य में अंतिम मूल्य के अंतर की राशि (यदि कोई हो) अंतिम किश्त में क्रेता द्वारा देय होगी ।